रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-71 REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 1984/आषाढ़ 28, 1906
No. 268] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 1984/ASADHA 28, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1984

सं० 202 / 84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 518(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण में साइड डोर ग्लास के विनिर्माण में मूल उपस्कर के रूप में उपयोग के लिए अपेक्षित फ्लोट ग्लास को,-

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उदग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना मूल्य के 25 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात्:—

(i) उक्त फ्लोट ग्लास का आयात 1000 घन में सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों के विनिर्माता द्वारा किया जाता है ;

(ii) इसमें अंतर्विष्ट छूट 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाली ईंधन दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण में साइड डोर ग्लास के विनिर्माण में मूल उपस्कर के रूप में उपयोग के लिए अपेक्षित केवल उसी फ्लोट ग्लास को लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा उक्त उपयोग के लिए अपेक्षित प्रमाणित किया जाता है; और

(iii) आयातकर्ता ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करेगा कि उक्त फ्लोट ग्लास उपर्युक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 1000 ईंधन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली किसी मोटर कार की बाबत ईंधन दक्ष मोटर कार" से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है तो अहमदनगर (महाराष्ट्र में स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान संगम द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात ईंधन-दक्षता परीक्षण कहा गया है।) उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसी मोटर कार प्रति लीटर पैट्रोल में कम से कम 20 किलोमीटर चलेगी, अर्थात :-

(क) ईंधन-दक्षता परीक्षण 300 किलोग्राम भारयोग से किया जाएगा;

(ख) ईंधन-दक्षता परीक्षण ऐसे पैट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका आक्टेन लेवेल 87 से अधिक नहीं है; और

(ग) ईंधन दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेवेल परीक्षण पथ पर कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अपरिवर्ती गति से किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए औसतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की ऊंचाई और 20° सें० मी० परिवेश ताप के आधार पर संशोधित किया जाएगे।

2. यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1989 तक प्रवृत्त रहेगी जिसमें यह तारीख भी है।

[फा० सं० 346 / 29/84-टी०आर०यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 1984

NO. 202|84-CUSTOMS

G.S.R. 518(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts float glass when imported into India for the manufacture of side-door glass for use as original equipment in the manufacture of fuel efficient motor cars of engine capacity not exceeding 100 cubic centimetres from—

(a) so much of the duty of customs which is leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the rate of 25 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

(i) that the said float glass are imported by a manufacturer of fuel efficient motor car of engine capacity not exceeding 1000 cubic centimetres;

(ii) the exemption contained herein shall be applicable only to those float glass which are certified by an officer not below the rank of an Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development and an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry), to be required for the manufacture of side-door glass for use as original equipment in the manufacture of fuel efficient motor cors of engine capacity not exceeding 1000 cubic centimetres; and

(iii) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf produce a certificate from the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development, to the effect that the said float glass have been used for the aforesaid purpose.

Explanation.— For the purposes of this notification, "fuel efficient motor car" in respect of a motor car of engine capacity not exceeding 1000 cubic centimetres means a motor car which is certified to run not less than 20 kilometres per litre of petrol by an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) on the basis of he tests (hereinafter referred to as the fuel efficiency test) carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Minisrty of Defence, Ahmednagar (Maharashtra) or the Automotive Research Association af India, Pune (Maharashtra), having regard to the following, namely :—

(a) the fuel-efficiency test shall be conducted with a payload of 300 kilograms;

(b) the fuel-efficiency test shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87; and

(c) the fuel-efficiency test shall be carried out, on a selected level test track at a steady speed of 50 kilometres per hour for a minimum stretch of one kilometre and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction shall be taken for carrying out the test and the test figures shall be corrected to sea level altitude and to+20°C ambient temperature.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of July, 1989.

[F. No. 346|29|84-TRU]

सं० 203/84 सीमा शुल्क

सा० का० नि० 519(अ):- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1981 का 21) की धारा 36 की उपधारा (4) के साथ पठित,

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 134, 84-सीमा, तारीख, 11 मई, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"9.202 सीमा शुल्क तारीख 19 जुलाई, 1984.".

[फा० सं० 346 / 29/84 टी० आर. यू.]

के. एम. वेंकटगिरि, अवर सचिव

NO. 203|84-CUSTOMS

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 36 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Depatment of Revenue) No. 134|84-Customs, dated the 11th May, 1984, namely :—

In the Scheduled annexed to the said notification, after S. No. 8 and the entry relating thereto, the following S. No. and the entry shall be inserted, namely :—

"9. 202-Customs, dated the 19th July, 1984.".

[F. No. 346|29|84-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984